संख्या–1102/का–1/2001

प्रेषक,

अजय प्रकाश वर्मा
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ,दिनांक: 5 दिसम्बर, 2001

विषयः–विभिन्न सेवा संवर्गों के पुनर्गठन के संबंध में मानक तय करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–13(12)2001/का–1/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 एवं समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गये शासनादेशों में कैडर रिब्यू के संबंध में जारी किए गये प्रक्रियात्मक निर्देशों को समझने में कठिनाई की बात संज्ञान में लाई गई है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि संवर्गीय पुनर्गठन के विषय में निर्गत शासनादेश के कम में प्रशासकीय विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही की स्थिति को और स्पष्ट कर दिया जाए।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संवर्गीय पुनर्गठन की कार्रवाही केवल उन सेवा संवर्गों के विषय में की जानी है जिनमें पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था दिनांक 31.03.2002 से समाप्त हो जाएगी, अर्थात इसमें प्रादेशिक सेवाओं के ऐसे संवर्ग सम्मिलित किए जाएगे जिनमें प्रवेश वेतनमान रू0 8000–13500 या उससे उच्चतर वेतनमान में होता है।

3. वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार उक्त श्रेणी के अधिकारियों को दिनांक 31.03.2002 के बाद पूर्व से लागू समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर कार्यात्मक आधार पर प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराया जाना है। विभिन्न संवर्गों की संवर्ग व्यवस्था कापरीक्षण/पुनरावलोकन कर अपनी संस्तुतिया देने हेतु कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है, जिसे समयबद्ध योजना के अनुसार अपनी संस्तुतियां शासन को उपलबध करानी है:–

------2

(1)	सचिव, कार्मिक	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(3)	सबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव, अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से निम्न स्तर का हो	सदस्य

4. संवर्गीय पुनर्गठन के विषय में वेतन समिति (1997–99) ने मार्गदर्शक रूप में यह इंगित किया है कि रू0 8000–13500 के वेतनमान के 30 प्रतिशत पद रू0 10,000–15200 में, रू0 10,000–15200 के वेतनमान के 25 से 30 प्रतिशत पद रू0 12000–16500 के वेतनमान में तथा रू0 12000–16500 के वेतनमान के 15 प्रतिशत पद रू0 14300–18300 के वेतनमान में रखे जा सकते है।

5. संबंधित सेवा संवर्गो के प्रशासनिक विभाग संवर्गीय पुनर्गठन के विषय में उपर्युक्त प्रस्तर–3 तथा प्रस्तर–4 के मार्गदर्शन के आधार पर अपने अधीन आने वाले सेवा संवर्गो की संवर्गीय संरचना का कार्यात्मक आवश्यकतानुसार अध्ययन कर अपनी संस्तुतियां समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सचिव, कार्मिक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं ।

6. उपरिलिखित शासनादेश संख्या– 13(12)2001/का–1/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गये अन्य शासनादेशो को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

7. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समयबद्ध तरीके से दिनांक 31.12.2001 तक अनुपालन सुनिश्चत करें ।

ह0....
अजय प्रकाश वर्मा
मुख्य सचिव,

संख्या–1102(1)/का–1/2001–तद् दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्तु अनुभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0....
डी0के0 वर्मा
विशेष सचिव,

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

(नंदलाल प्रसाद)
अनु सचिव,
कार्मिक अनुभाग–1
उत्तर प्रदेश शासन।